न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2025 G.C.M.S. No. 2025/213 दर्ज दिनांक : 21.05.2025

अपीलार्थिगण:

जेठाराम पुत्र तलाराम निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हीदाराम पुत्र कानारामजी आयु वयस्क निवासी मनादर तहसील शिवराज जिला सिरोही
2. रूपाराम पुत्र केसाराम जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
3. लकमाराम पुत्र दीपाजी जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
4. कुईयाराम पुत्र किशनाराम जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
5. दलाराम पुत्र कसनाराम जाति कलबी आयु यास्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
6. तेजाराम पुत्र पेकाराम जाति कलबी आयु व्वरक निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
7. जेपाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
8. हरतानाराम पुत्र तलसाराम आति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
9. तलसीदेवी पत्नी तलसाराम जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
10. सजनादेवी पत्नी हिराराम पुत्री तलसाराम जाति कलबी आयु व्यस्क निवासी मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सिरोही जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2024 बअनवान हिन्दुराम बनाम तेजाराम में पारित आदेश दिनांक 14.05.2025

पैरोकार:–

1. श्री मदन सिंह राव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री ऋषि माथुर, मदन सिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2014 बअनवान हिन्दुराम बनाम तेजाराम में पारित आदेश दिनांक 14.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्षा प्रस्तुत कर रास्ते के लिये आवेदन कर रास्ते की मांग की गई है उक्त रास्ता बीलानाम राजस्व भुमि खसरा सख्या 2701/1 एवं अपीलान्ट की खसरा संख्या 2708 की भूमि के बीच मे से न्यून्तम लम्बी दुरी के रास्ते की माग की गई थी है जो कम दुरी का व अपीलान्ट की आराजी के एक साईड से जहां पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई मकान या अन्य प्रकार का निर्माण नहीं है एवं उक्त जगह पर से रास्ता दिये जाने पर अपीलान्ट का किसी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन तहसीलदार साहब शिवगंज द्वारा जो मौका फर्द रिर्पोट प्रस्तुत की गई है जो कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 5 के साथ साठ गाठ कर गलत रूप से तैयार कर पेश की है एव उक्त मौका रिर्पोट को प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही प्रतित होता है कि मौका रिर्पोट मे जो रास्ता प्रस्तावित है जो अपीलान्ट को भारी नुकसान कारीत करने एवं क्षति पहुंचाने कि बदनियति से अपीलान्ट के मकान व पानी के होद व पानी निकासी की पाईप लाईन स्थित है वहा से प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ता दिया जाने से अपीलान्ट को बहुत ज्यादा नुकसान कारीत हो रहा है एव रेस्पोडैन्ट सख्या 1 ता 5 को उनके द्वारा मागं एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्षानुसार रास्ता उपलब्ध करवाने में अपीलान्ट को कोई आपत्ती नही होने एव जो कि न्यून्तम दुरी का रास्ता है एवं राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में वही रास्ता दिलाये जाने का प्रोविजन है जो न्युन्तम दुरी का हो एव एव पक्षकारान को किसी प्रकार की क्षति कारीत नहीं हो लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानुनी बिन्दु को ध्यान में नहीं रख कर एवं केवल मात्र तहसीलदार साहब की रिर्पोट को केवल आधार मान कर उक्त आदेश पारीत किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 5 की आराजी में आने व जाने हेतु बरलानाम आराजी खसरा सख्या 2701/1 मे से रास्ता विधमान होने एव उक्त रास्ते की रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 5 द्वारा मांग की जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर एवं बीना कोई मौका स्थिति का अवलोकन कर एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनो एव पक्षकारों के विपरित रास्ता अपीलान्ट की आराजी मे से प्रस्तावित करने एव पत्रावली एव रेकर्ड का अवलोकन किये बीना तुगलकी आदेश दिनांक 14.5.2025 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के किसी भी प्रकार अभिवचनो एव दस्तावेजो साक्ष्य पर गौर किये एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 द्वारा माँग किये गये रास्तें को नहीं दिये जाकर तहसीलदार साहब शिवगंज द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मेल मिलाप कर अपीलान्ट की भुमि में लम्बी दुरी का होने के बावजुद रास्ता प्रस्तातित करने में पीठासीन अधिकारी ने अपने पद व कानुन का दुरपयोग कर तुगलकी आदेश पारीत करने से काबीले खरीज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 05 ने सरहद मौजा मनादर के खसरा नम्बर 2704, 2705, 2706, 2707 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 2708, 2708/1 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 2708 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जो भू. अ. नि कैलाशनगर द्वारा दिनांक 04.04.2025 को तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख व अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी खसरा 2707 एवं निकटतम गैर मुमकीन रास्ता के मध्य अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 2708 स्थित है। प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं। अतः रास्ता की मांग महज सुविधा नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता है। अपीलांट का यह उज्र कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 खसरा संख्या 2701/1 मे से रास्ता विद्यमान होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया है, किंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज राजस्व अभिलेख, मौका मानचित्र या अन्य वैधानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा है, जिससे अपीलांट का उज्र विश्वास योग्य हो। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों में उक्त कथित रास्ते की दूरी का भी कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया है। अतः निश्चित दूरी के अंकन एवं ठोस साक्ष्यात्मक आधार के अभाव में अपीलार्थी का यह उज्र मात्र एक निराधार कथन होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।
3. भू.अ.निरी. के विस्तृत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 2704 से 2707 एवं निकटतम पहुच मार्ग के मध्य अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 2708 है। जिसके पश्चिम सीमा के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा एवं 48 मीटर लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकृत रास्ता निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इससे निकटतम दूरी का अन्य विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जवाब एवं आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2014 बअनवान हिन्दुराम बनाम तेजाराम में पारित आदेश दिनांक 14.05.2025 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली